

पत्रांक सं०. NPCC/PMGSY/2020/200

दिनांक- 03/06/2024

सेवा में,

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

विषय: जनपद चमोली में नंदप्रयाग घाट km 15 से जाखनी तक मोटर मार्ग का निर्माण- अनुपालन आख्या के सम्बंध में

संदर्भ: 8 बी/यू सी पी. /06/67/2020/एफ.सी./1410 dated 30/09/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक 8 बी/यू सी पी. /06/67/2020/एफ.सी./1410 dated 30/09/2020 को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी। अधिरोपित शर्तों का बिंदुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

क्र. सं	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	उक्त बिंदु वन विभाग सम्बंधित है। उक्त शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.795 हे० अवनत वन भूमि नावली प्रकल्प कोर्स० 2 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	उक्त बिंदु वन विभाग सम्बंधित है।
	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. धारा पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत दायरसंग कार्य नहीं किया गया है।	उक्त बिंदु वन विभाग सम्बंधित है।
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (P1-2) दिनांक 18-09-2003] 5-2 / 2006-एफ.सी. दिनांक 03-10-2006 एवं 5-2 / 2007 - एफ.सी. दिनांक 05-02-2007 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.3975 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 2.3975 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की लागत जमा की जा चुकी है।

उप वन संरक्षक बद्रीनाथ वन प्रभाग
प्राप्य दिनांक 03/06/2024
प्रमाण

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शपथ पत्र संलग्न है
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 45 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जा चुकी है।
6	State Govt will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt- will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	उक्त बिंदु वन विभाग सम्बंधित है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के अनुरूप धनराशी ई पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/ जमा की जा चुकी है।
8	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
9	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्र में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रायधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
11	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याय वन	शर्त मान्य है।

	विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त सकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	
14	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
16	इस अनुमादन में प्रत्यावर्तन की अवधि का प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट के प्रयोजन अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसिया विभाग अथवा व्यक्ति का हस्तारित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
19	इन में से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल सं 11-42/2017 - FC 2901-2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	शर्त मान्य है।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह आवश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पाधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र का स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका शिथरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार	शर्त मान्य है।

	समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षा की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
22	यदि कोई संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/ न्यायालयी आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अनुमति ली जाएगी।	शर्त मान्य है।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।

प्रबंधक

एन.पी.सी.सी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड को सूचनार्थ प्रेषित
- 2 जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित
- 3 जोनल मैनेजर, एन.पी.सी.सी, उत्तराखंड जोन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित

Date: 03/06/2024

प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनपद चमोली में नंदप्रयाग घाट km 15 से जाखनी तक मोटर मार्ग का निर्माण मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्र 8 बी/यू सी पी./06/67/2020/एफ.सी./1410 dated 30/09/2020 को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गयी थी।

शर्त संख्या 4 क) के अनुपालना में स्वीकृति अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ सी दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार गणना करके प्रभावित क्षेत्र के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि ऑनलाइन जनरेट चालन के अनुसार रुपये 15,75,157.00 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।

शर्त संख्या 4 ख) के अनुपालना विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जाएगा।

भवदीय


प्रबंधक

पी0 आई0 यू0

एन0 पी0 सी0 सी0 लिमिटेड

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no.01372-252175

पत्रांक 619/12-1, गोपेश्वर,

दिनांक

06-08-

2024।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून

विषय:- जनपद चमोली में नंदप्रयाग घाट किमी0 15 से जाखणी तक मोटर मार्ग का निर्माण अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में। (FP/UK/Ropad/38448/2019)

संदर्भ:- प्रबन्धक, एन0पी0सी0सी0लि0, नन्दप्रयाग की पत्र सं0 एनपीसीसी/पी0एम0जी0एस0वाई0/2020/200 दिनांक 3.06.2024.

महोदय,


प्रबन्धक, एन0पी0सी0सी0लि0, कर्णप्रयाग ने अपने संदर्भित पत्र 2564/36 सी0 दिनांक 02.01.2023 से विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे संलग्नको सहित निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र0 सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.795 है0 अवनत वन भूमि नावली पंचम क0सं0 2 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	शर्त सं0 03 (क) के अनुपालन में वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी की लागत पर 7.795 है0 अवनत वन भूमि नवाली पंचम क0न0 02 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा एवं वृक्षारोपण में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां लगायी जायेगी तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु देय धनराशि रू0 16,16,797 ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन (संलग्नक-1))
(ख)	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्रफल पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।	शर्त सं0 3 (ख)के अनुपालन में वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न-2)
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या : 202/1995 में IA के नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 -एफ0सी0(पी0टी0 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दि0 03.10.2006 एवं 573/2007 -एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.3975 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावेदन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त सं0 4(क) के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार क्षेत्र देय धनराशि रू0 15,75,157.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध मूल्य अतिरिक्त राशि यदि जो अन्तिम रूप देने के बाद हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।(संलग्न-3)
5.	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्तावित के अनुसार 45 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के संख्या पर्यवेक्षण में कटेंगे, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जा चुकी है।
6.	State Govt will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2.The State Govt will stricly monitor and ensure that no further activity us carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.	शर्त सं0 6 का अनुपालन किया जायेगा।


7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई पोर्टल (https://parivesh.nic.nic/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोश प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	शर्त सं0 7 का प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोश प्रबंधक एवं योजना प्राधिकरण फण्ड में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्न-4)
8	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़के के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
9	संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
10	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
11.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
12.	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन की किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
16	इस अनुमादन में प्रत्यावर्तन की अवधि का प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
17	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
18	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
20	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
21	प्रयोक्ता एजेन्सी पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तथ सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाति के पौध लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी को जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23.	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.nic/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन आख्या ऑनलाईन अपलोड किया जा चुकी है।

उपरोक्त प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या की 03 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है, उक्त प्रकरण के विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।
संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 619 / 12-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि:- प्रबन्धक, एन0पी0सी0सी0लि0, कर्णप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।


(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

योजना का नाम:- जनपद चमोली में नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के किमी 0 15 के जाखणी तक के निर्माण हेतु 2.3975 हे० वन भूमि का गैर वानिकार्यो हेतु पी०एम०जी०एस०वाइ० को प्रत्यावर्तन।

क्र० सं०	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे० मी)
1.	ग्राम-नवाली पंचम क०न० 02	4.795
	योग	4.795
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय योजना		
क्र० सं०	रोपित प्रजातियां	संख्या
1.	बांज, काफल, आवला, पदम इत्यादि	5275
	रोपित कुल पौध	5275

प्रथम चरण

क्र० सं०	कार्यमद का विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर (प्रति ₹०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	4.795	हे०	168.00	805.56
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान) आदि	4.795	हे०	5446.00	26113.57
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	4.795	हे०	48000.00	230160.00
4	गडढे खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित (प्रति गडढा 25 ग्राम)	5275	गडढे	11.00	58025.00
6	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) उगाने का	5275	पौधे	10.00	52750.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र औजार तेज करना एवं निरीक्षण बटिया	4.795	हे०	1350.00	6473.25
8	कन्ट्र नाली खुदान व रेखांकन	1125.00	र०मी०	93.30	104962.50
9	जल संरक्षण कार्य एवं भूमि संरक्षण कार्य	5.000	सं०	25000.00	125000.00
	योग- प्रथम चरण:-				604289.88

द्वितीय वर्ष

1	गडढे भरान कार्य	5275	सं०	2.00	10550.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	5275	सं०	3.00	15825.00
3	पौध दुलान कार्य	5275	सं०	13.00	68575.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	5275	सं०	4.00	21100.00
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई	5275	सं०	2.75	14506.25
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	5275	सं०	2.40	12660.00
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख पर व्यय 7 माह	7	माह	1000.00	33565.00
9.1	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाजर घास/काला बांसा)	2.000	हे०	1800.00	3600.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।				
10	बोर्ड क्रय कर लगाना एवं अन्य व्यय			L.S	30000.00
11	जल संरक्षण कार्य एवं भूमि संरक्षण कार्य	1.000	सं०	L.S	10000.00
		5.000	सं०	25000.00	125000.00
	योग- द्वितीय चरण:-				345381.25

2	द्वितीय वर्ष	345381.25
3	तृतीय वर्ष	124487.64
4	चतुर्थ वर्ष	77540.00
5	पंचम वर्ष	77540.00
6	षष्ठम वर्ष	77540.00
7	सप्तम वर्ष	77540.00
8	आठवां वर्ष	77540.00
9	नवम् वर्ष	77540.00
10	दसम वर्ष	77540.00
कुल रूपये		1616938.77
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2021-22 हेतु देय दर प्रति है 0 रु 337184.00		4.795 ha 337184.00 1616797.3
या देय कुल धनराशि		1616797.00

Checked For Rs 1616797/-


D/Man
Forest

(Signature)
वन क्षेत्राधिकारी
पूर्वी पिण्डर राजि, देवाल

(Signature)
प्रभागीय वनाधिकारी,
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गीपिखेर।
देवीनाथ वन प्रभाग गीपिखेर
(घमोखी)

1/22, 12:32 PM

18. Payment made by User Agency

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Reclved Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Uploaded Demand Letter
FP/UK/ROAD/38448/2019	ROAD384482019768	3191954	3191954	20 Jan 2021	PUNB101917834973	Corporation Bank	NEFT/RTGS (Challan)	

1:


2:

19. Uploaded Status of Land to be transferred to Forest Department under FCA (Mutation Details).

प्रस्ताव का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के किमी 0 15 के जाखणी तक के निर्माण हेतु 2.3975 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० को प्रत्यावर्तन ।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के किमी 0 15 के जाखणी तक के निर्माण हेतु 2.3975 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल नवाली पंचम क०न० 02 में 4.795 है० भूमि वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है। इस पर पूर्व में किसी भी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेन्द्र
(चमोली)



(त्रिलोक सिंह बिष्ट)
वन क्षेत्राधिकारी
पूर्वपिपुडर रेंज, देवबाल

परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु लम्बाई 4.325 कि०मी० ।

परियोजना की लम्बाई—चौड़ाई का प्रमाण—पत्र ।


प्रस्तावित सिविल / वन पंचायत वन भूमि की लम्बाई 4325 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर कुल 30275 वर्ग मीटर अर्थात् 3.0275 है० है ।


सिविल भूमि—	लम्बाई— 3425 मी० चौड़ाई 7 मी०	है० 2.3975
वन पंचायत—	लम्बाई— चौड़ाई	है०
नाप भूमि—	लम्बाई— 900 मी० चौड़ाई 7 मी०	है० 0.63


प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोरखपुर


अभिमान

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।

परियोजना का नाम:— जनपद चमोली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के किमी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई—4.325 किमी0 हेतु 2.3975 है0 वन भूमि का पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि निम्नानुसार है।

1- ईको क्लास श्रेणी	-	V
2- हरियाली का घनत्व	-	0.3
3- एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	-	6,57,000.00
4- आवंटित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	2.3975 है0
5- कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि	-	15,75,157.00


प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।


परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु लम्बाई 4.325कि०मी०।


एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लो०नि०वि० द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लो०नि०वि० द्वारा जमा करा दी जायेगी।

प्रमाणित


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार)
मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

अधिशालासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।

पत्रांक: 451 / जि०टा०फो०च० / रू० / मोटर मार्ग / 2018-19 दिनांक 19 मार्च 2019

विषय: जनपद चमोली में विकासखण्ड घाट क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय उप जिलाधिकारी, चमोली के पत्र संख्या 228/वै०सहा०-संयुक्त निरीक्षण/2018-19 दिनांक 22 जनवरी 2019 जो कि उप वन संरक्षक, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर, भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स, चमोली को सम्बोधित व अधिशालासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा जनपद चमोली में विकासखण्ड घाट क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है के क्रम में उपरोक्त संरेखण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण सम्पन्न कर निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप निदेशक/भूवैज्ञानिक।

पृष्ठांक : / जि०टा०फो०च० / रू० / मोटर मार्ग / 2018-19, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, चमोली।
2. संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

उप निदेशक/भूवैज्ञानिक।

जनपद चमोली में विकासखण्ड घाट क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चमोली के पत्र संख्या 228/वै०सहा०-संयुक्त निरीक्षण/2018-19 दिनांक 22 जनवरी 2019 जो कि उप वन संरक्षक, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपश्वर, भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स, चमोली को सम्बोधित व अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा जनपद चमोली में विकासखण्ड घाट क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु संरेखण स्थल की संयुक्त/भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में उपरोक्त स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा तहसीलदार, चमोली, वन विभाग, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपश्वर एवं श्री प्रीतम सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री सुधीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड कर्णप्रयाग व अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में दिनांक 24.01.2019 को सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है :-

पहुँच/अवस्थिति :

प्रश्नगत मोटर मार्ग संरेखण नन्दप्रयाग-घाट- मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से ग्राम जाखणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग संरेखण की लम्बाई 4.325 कि०मी० स्वीकृत है। मोटर मार्ग के चैनेज 0/30 पर प्रस्तावित हेयर पिन बैंड से लिंक रोड का भी प्राविधान किया गया है जिसमें मोटर मार्ग की लम्बाई 1.25 कि०मी० प्रस्तावित है, जो कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया। उक्त के मध्य अपस्लोप में भूस्खलन क्षेत्र विद्यमान है जिसको उचित सिविल भूअभियांत्रिकी से संरक्षित करते हुए मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना आवश्यक होगा। उक्त संरेखण स्थल नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के डाउनस्लोप/उत्तर पश्चिम से निर्माण हेतु प्रस्तावित की गयी है जो कि नन्दाकिनी नदी को पार करके दाहिने तट के अपस्लोपों पर निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

भूआकृति/भूगर्भीय संरचना :

प्रस्तावित संरेखण को 06 हेयर पिन बैंड के द्वारा निर्मित किया जाना है। संरेखण स्थल में पहाड़ी ढाल लगभग 25⁰-40⁰ दक्षिण, दक्षिणपश्चिम, दक्षिणपूर्व फेसिंग के पहाड़ी ढाल पर अवस्थित है। संरेखण के ऊपर व नीचे कतिपय स्थलों पर वर्तमान समय में ग्रामीणों के आवासीय भवन पहाड़ी ढालों पर निर्मित पाये गये। जिनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षात्मक मेजर्सों का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा। संरेखण के मध्य में स्थानीय प्रजाति की घास, झाड़ियाँ व वृक्ष आदि उगी हुयी है तथा मृदा की कतिपय स्थलों पर आंशिक व मोटाईयुक्त गहरी परत दृष्टिगोचर होती है। हेयरपिन बैंड्स का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि हेयरपिन बैंड्स एक-दूसरे के ऊपर निर्मित न हो तथा आर्मस के मध्य की दूरी अधिक हो जिससे भूकटाव के साथ तथा भूकटाव के पश्चात् मोटर मार्ग भूकटाव क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान किया जा सके।

उक्त क्षेत्र में मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् मृदा अपरदन की प्रक्रिया को न्यून करने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक मैहजर्स का प्राविधान किया जाय। क्षेत्र में कतिपय स्थलों पर

मोटर मार्ग कटाव के पश्चात वृक्षों का रोपण, जिससे भूक्षरण की प्रक्रिया को न्यून किया जा सके।

उक्त स्थल प्रथम दृष्ट्या मृदा व चट्टानों के मिश्रित मलवे के रूप में अवस्थित क्षेत्र व अधोभूमि में शिष्टोज नाईस व क्वार्टजाईट प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं सतह पर स्वस्थाने चट्टानों के आउटक्राप का अभाव पाया गया। उक्त संरेखण के प्रारम्भ में चट्टानें कतिपय स्थलों पर हाईली ज्वाइन्टेड प्रकृति की मोटर मार्ग कटाव पर दृष्टिगोचर होती हैं। जिन स्थलों पर चट्टानें अत्यधिक हाईली वैदर्ड प्रकृति की हैं उन स्थानों पर विशेष सुरक्षात्मक उपायों का प्राविधान किया जाय। प्रारम्भ में मोटर मार्ग का कटाव अथवा स्थल का विकास इस प्रकार किया जाय कि नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग कटाव से प्रभावित न हो सके।

उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र सक्रिय भूकम्पीय जोन के अन्तर्गत वर्गीकृत है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पनों से स्थलों के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है। पहाड़ी ढालों पर भूकटाव के पश्चात मृदा व चट्टानों के मिश्रित मलवे को पहाड़ी ढाल पर न फैलाकर सुरक्षित स्थल पर डम्प किया जाय जिससे वर्षाकाल के दौरान जल के साथ मृदा प्रवाह को न्यून किया जा सके तथा निचले अवस्थित क्षेत्रों को भी सुरक्षा प्रदान किया जा सके।

विचारणीय बिन्दु :


उक्त ग्राम को मार्ग से जोड़ने के लिए सम्पूर्ण क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना एक समान है तथा उक्त क्षेत्र में वैदर्ड व ज्वाइन्टेड प्रकृति की चट्टानें विद्यमान होने से कतिपय स्थलों पर भूधंसाव की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है जिसके दृष्टिगत स्थलों पर उचित सिविल भूअभियांत्रिकी तकनीकी का प्राविधान कर निर्माण कार्य किया जाय।

उक्त मोटर मार्ग निर्माण से पूर्व निम्नलिखित सुझाव एवं शर्तों का पालन किया जाय :

1. मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् सतही जल प्रवाह/अधोभूमि जल रिसाव को अन्दरूनी पहाड़ी ढाल की दिशा में पक्की ड्रेनेज नालियों द्वारा नियंत्रित कर सतही जल प्रवाह को सुरक्षित स्थल/नाले में छोड़ा जाय।
2. समरेखण स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
3. पूर्व ओरवलोडेड व मोटर मार्ग कटाव से निर्मित तीव्र मलवा ढालों को टो सपोर्ट शीघ्र दिया जाय ताकि वर्षाकाल में मड/मृदा/मलवा, बहाव को न्यून किया जा सके।
4. मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर जहाँ आवश्यक हो समुचित घनी जड़ों के वृक्षों व पौधों का रोपण किया जाय जिससे ढलानों पर वर्षाकाल में भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके।
5. उक्त मोटर मार्ग संरेखण के निर्माण से उत्सर्जित मटिरियल को पहाड़ी ढालों पर न फैलाकर सुरक्षित स्थल पर निक्षेपित किया जाय जिससे वर्षाकाल के दौरान मड/डेबरी फलो की सम्भावना को न्यून किया जा सके।

6. मोटर मार्ग भूकटाव के पश्चात् कुछ क्षेत्रों के अपस्लोप का स्थिर एंगिल ऑफ रिपोज परिवर्तित होने से भूधसांव/भूखलन क्षेत्र विकसित हो सकते हैं। अतः भूधसांव क्षेत्र को अद्यतन नवविकसित सिविल भूअभियांत्रिकी द्वारा ट्रीट/सुरक्षित किया जाय।
7. पर्वतीय क्षेत्र में मोटर मार्ग निर्माण के लिए प्रस्तावित सिविल भूअभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।
8. चूंकि स्थल सक्रिय भूकम्पीय जोन में अवस्थित है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पनों से स्थलों के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है।
9. संरेखण स्थल को मोटर मार्ग हेतु विकसित करने के लिए अर्द्ध कटाव अर्द्ध भराव का सिद्धान्त अधिक उपयुक्त होगा।
10. कन्सॉलिडेटेड मृदा/मलवायुक्त भूभागों में मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् शीघ्र पक्की टो सपोर्ट व मजबूत रिटेनिंग/ब्रेसवाल (वीप हॉल व स्क्रीनिंग मटिरियलयुक्त) का निर्माण किया जाय जिससे स्थल को पुनः सुरक्षित स्थिर एंगिल ऑफ रिपोज प्राप्त हो सके।
11. संरेखण में बनाये जाने वाली सुरक्षा धारक दीवारों/टो वाल, रिटेनिंग व ब्रेस्टवालों का निर्माण (वीप होल्स सहित व स्क्रीनिंग मटिरियल के साथ) आवश्यकतानुसार किया जाय।


प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त सुझाव व शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर संरेखण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त समझा जाता है।





(डा० अमित गौरव)
उप निदेशक/भूवैज्ञानिक।

परियोजना का नाम:— परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु लम्बाई 4.325 कि०मी०।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश संलग्न किया गया है।


कर्मिक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

संख्या: 5610 / पी3-14(Hab) / यू.आर.आर.डी.ए. / 18


दिनांक: 31 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 से अधिक जनसंख्या की बसावटें, जो कोर नेटवर्क में जुटविश संयोजित दर्शायी गयी है, किन्तु वास्तव में धरातलीय स्तर पर असंयोजित है, ऐसी 93 चिन्हित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु संलग्न परिशिष्ट-क के अनुसार 86 मोटर मार्ग, अनुमानित लम्बाई 529.31 किमी० की सूची तैयार की गयी है। इन मार्गों के विस्तृत सर्वेक्षण तथा मार्गों के समरंखण में पड़ने वाली वनभूमि एवं नापभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व राजस्व विभाग को प्रेषित किये जाने एवं एन०आर०आर०डी०ए०, भारत सरकार के अद्यतन निर्देशानुसार डी०पी०आर० गठन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है। डी०पी०आर० गठित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मार्ग का समरंखण कोर नेटवर्क के अनुरूप हो, यदि समरंखण कोर नेटवर्क के अनुरूप नहीं है, तो सम्बन्धित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिलाधिकारी एवं मा० सांसद महोदय से समरंखण का सत्यापन तथा सर्वे ऑफ इण्डिया के मानचित्र में मार्ग के समरंखण की स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर नेटवर्क संशोधन प्रस्ताव Geo-Tagged Photographs & km1 file तत्काल उपलब्ध कराते हुए डी०पी०आर० गठित की जायें। तत्पश्चात् इन मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होने पर पृथक से जारी की जायेंगी।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक: यथोपरि।



प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, कुमांऊ क्षेत्र, अल्मोड़ा एवं गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनभूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी०एम०जी०एस०वाई०), उत्तराखण्ड।


प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

Sl. No.	Block	Method of Sanitized Habitation as per Core Network			As per Core Network Alignment		Modified Alignment	
		Habitation Name with Population	Consent Code	Habitation Code	Name of Road with Road No.	Length (km)	Name of Proposed Road	Approx. Length (km)
3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Joshimath	Subhai (526)	77900	526	Joshimath-Mulari motor road (T02) SH 58	61.30	Tapwan reongi bhavishyatsuri km. 5.00 to Subhai Motor Road	5.00
2	Deval	Dausari (638)	165600	268	Gwaldam-Nandkeshi Motor Road (L030)	4.04	Nandkeshi-Gwaldam Motor Road Km 04 to Dausari Motor Road	9.00
3	Karanprayag	Siran (583)	00117600	10	Delhi-Rishikesh Badrinath Mann Motor Road, T01 (NH 58)	37.00	Chatigala (chatwa pipal) to Siran Motor Road	7.00
4	Ghat	Lakhee (1359)	00101400	351	Ghat to Tharali Motor Road, L035	16.50	Ustoli to Sarpani Lakhee Motor Road	8.00
5	Ghat	Sarpani (502)	00101000	347			Ghat Tharali Motor Road KM 13 to Syari Motor Road	3.00
6	Ghat	Syari (1102)	00102100	358			Nandprayag Ghat Motor Road, T04 (ODR)	9.00
7	Ghat	Jakhni (645)	00195500	273				
8	Joshimath	Tangni Malki (325)	73600	325	Delhi-Gazibad Haridwar-Joshimath-Malki motor road FBC (NH 58)	33.00	Tangni Malki to Tangni Malki Motor Road	3.00
9	Gairain	Kolani (305)	193400	438	Bunglhar Mehachhari-Machuwabam Motor Road (T03) ODR	54.50	Kot-Lambhar motor Road (L027) Km 04 to Kolani Motor Road	4.00
10	Ghat	Mokh Malki (612)	00102100	341	Seru Ashid to Narayan Bhagar, L037	5.00	Dhuma Kundi Motor Road Km 2 to Mokh Malki Motor Road	5.00
11	Bhilaranga	Kot (278)	00291800	150	Ghansli-Pawwali-Akhori Motor Road L022	38.35	Ghansli-Pawwali-Akhori Rd. KM 16 to Kot Motor Road	8.00
12	Bhilaranga	Kothar (405)	00277200	134	Ghansli-Ghutta Motor Road L040	31.30	Ghansli-Ghutta Rd. KM. 14 to Kothar Motor Road	3.00
13	Bhilaranga	Dyung (269)	00275500	67			Ghansli-Ghutta Rd. KM. 30 to Dyung Motor Road	2.50
14	Bhilaranga	Varna (279)	00272800	267			Ghansli-Ghutta Rd. KM. 26 to Varna Motor Road	6.00
15	Thambhar	Gojmer (492)	492500	39	Chamba-Dharam Motor Road FBC (SN 53)	25.00	Chamba-Dharam Motor Road Km. 72.00 (Piple March) to Gojmer	5.00
16	Bhilaranga	Tunkhand (274)	00290800	260	Chamba-Dharam Motor Road T02 (SN 53)	25.00	Chamba-Dharam M.R. to Tunkhand Motor road	4.00
17	Jampur	Rigalgah (605)	384000	145	Raipur - Kumbha to Kabil Khat Motor Road, T02 (ODR)	64.28	R.K.K. Motor Road Km. 42.00 to Rigalgah Motor Road	6.00
18	Jampur	Sotagal (674)	383900	151			R.K.K. Motor Road Km. 35.00 to Sotagal Motor Road	2.00



लैंड शेड्यूल

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि.मी. 15 से जाखणी मोटर मार्ग का निर्माण

(सिविल एवं सोयम वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	परियोजना की लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवृत्त क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल आवृत्त क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
वन पंचायत विजार	चमोली	घाट	0	0	0	0
वन पंचायत जाखणी	चमोली	घाट	0	0	0	0
सिविल भूमि विजार	चमोली	घाट	550	7	0.385	2.3975
सिविल भूमि जाखणी	चमोली	घाट	2875	7	2.0125	
नाप भूमि विजार	चमोली	घाट	25	7	0.0175	0.63
नाप भूमि जाखणी	चमोली	घाट	875	7	0.6125	
योग			4325	7	3.0275	3.0275

प्रयोक्ता एजेंसी

तहसीलदार
राजसोलदार
राजसोल-घाट
जिला-चमोली
दिनांक

जिला अधिकारी
जिला चमोली-काशी
चमोली


राजस्व उपसमिति
राजसोल-घाट
जिला-चमोली

50


परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु लम्बाई 4.325 कि०मी०।


लैण्ड शेड्यूल
(वन विभाग)


जिला	वन प्रभाग का नाम	वन ब्लॉक/रेंज	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (है०)
चमोली	बद्रीनाथ	चमोली	-शून्य-	-	-


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गेपेश्वरा

§
प्रमाण


कमिश्नर अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग

प्रारूप-6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 24 / 01 / 2019 को पी0एम0जी0एस0वाई, खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग के द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट के कि0मी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री हौरी लाल जी वनदरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री जगमोहन विष्ट जी राजस्व उपनिरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह दिवाकर सहायक अभियन्ता, श्री सुधीर चन्द्रा एवं श्री प्रीतम कण्डारी कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री सचिन सुरीरा अमीन तथा स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखण के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता परिस्थितिक आवश्यकता आर्थिक मितव्ययता तकनीकी आवश्यकता की दृष्टि से जो समरेखण/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 0.63 है0 नाप भूमि 2.3975 है0 सिविल भूमि से 0.00 है0 वन पंचायत 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। कुल 2.3975 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।


इस समरेखण पर चुने गये स्थल पर लगभग 54 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें 2 बांझ प्रजाति के प्रभावित होंगे। ~~स्वित्तरवनाम व अन्य वनभूमि~~ अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित आरक्षित वन 0:00 कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन 0'2 है, एवं इन कक्षों में ~~वैदिक~~ प्रजाति के है। प्रभावित होने वाली नाप भूमि ग्राम एवं पर ~~वैदिक~~ प्रजाति के वन है, एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति के वन है, जिनका वर्तमान वन आच्छादन है।


चयनित समरेखण में कुल 54 ~~(00)~~ पौधों को अन्य स्थानान्तरित किया जाना आवयक होगा। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रिय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हस्सा है/नहीं है।


चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/नहीं होगा।


इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा, उसके निस्तारण हेतु संलग्न योजनानुसार स्थल उपयुक्त पाये गये है जिनका GPS मान $30^{\circ}16'19.98''N$ $79^{\circ}25'36.96''E$


$30^{\circ}16'8.80''N$ $79^{\circ}25'43.12''E$	$30^{\circ}16'09.9''N$ $79^{\circ}23'45.96''E$	$30^{\circ}16'09.29''N$ $79^{\circ}25'48.64''E$
$30^{\circ}16'19.98''N$ $79^{\circ}25'36.96''E$	$30^{\circ}16'15.06''N$ $79^{\circ}25'47.46''E$	$30^{\circ}16'15.36''N$ $79^{\circ}25'49.61''E$
$30^{\circ}16'24.50''N$ $79^{\circ}25'34.83''E$	$30^{\circ}16'21.58''N$ $79^{\circ}25'40.70''E$	$30^{\circ}16'22.70''N$ $79^{\circ}25'48.26''E$
$30^{\circ}16'28.39''N$ $79^{\circ}25'38.67''E$	$30^{\circ}16'27.78''N$ $79^{\circ}25'41.81''E$	$30^{\circ}16'27.17''N$ $79^{\circ}25'43.20''E$



हस्ताक्षर
प्रयोक्ता एजेन्सी
प्रतिनिधि


हस्ताक्षर
वन क्षेत्राधिकारी
वन विभाग
चमोली


हस्ताक्षर
राजस्व विभाग
प्रतिनिधि


हस्ताक्षर
अन्य दावेदार
प्रतिनिधि


हस्ताक्षर
जन प्रतिनिधि
प्रतिनिधि


हस्ताक्षर
एम० एस० विष्ट
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र...
तहसील चमोली
जनपद-चमोली

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 24.01.2019 को उपरोक्त परियोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री हरीलाल, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री जगमोहन विष्ट, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुधीर चन्द्रा, श्री प्रीतम कण्डारी कनिष्ठ अभियन्ता श्री सचिन सुरीरा, अमीन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु सिविल वन भूमि 2.3975 हे० प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है, प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। किसी व्यक्ति विशेष/ग्राम वासियों की किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

सिविल वन भूमि में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिन वृक्षों का पातन किया जाना है, उसकी सूची संलग्न है।

मोटर मार्ग की 7 मीटर चौड़ाई में ही भूमि उपलब्ध की गई है, जिसमें मार्ग निर्माण हेतु 7 मीटर चौड़ाई में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

हरीलाल
वन दरोगा
पटवारी
तहसीलदार
(सदर)
एम० एस० विष्ट मोली
राजस्व उपनिरीक्षक
संभ...
तहसील घंमोली
जन्मपत्र...मोली

उपजिलाधिकारी
एम विद्या कनिष्ठ
अधीन

...

परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु लम्बाई 4.325कि०मी०।


परियोजना से उत्पादित मलवें के निस्तारण की समानचित्र योजना

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में मलवे निस्तारण का समानचित्र योजना संलग्न की गयी है।

§
गमन


कनिष्ठ अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग




सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग

कार्य का नाम :- पी० एम० जी० एच० वर्क के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-छाट के कि०मी० 15 से जायगी मोटर मार्ग निर्माण



TYPICAL X-SECTION OF MUCK DISPOSAL PLAN

आम/न

JE

Chief Engineer
M.S.Y.O.V.
M. S. Y. O. V. (Chandigarh)

Chief Engineer
M.S.Y.O.V.
M.S.Y.O.V. (Chandigarh)

Name of work: Construction of Nandprayag Ghat Motor Road KM 15 to Jakhni Motor Road under PMGSY.

63

Muck Disposal plan

Muck generation and proposed disposal model plan

S.no	Item	Quantity	Unit
1	Material excavated in hill side cutting	25045.00	Cum
	Swell factor @40%	10018.00	Cum
	Total	35063.00	Cum

Disposal and use of generated material

S.no.	Item	Quantity	Unit
1	R.R stone masonry laid in 1:5	2213.58	Cum
2	R.R stone masonry laid in dry	2826.25	Cum
3	Hand packed stone filling	450.26	Cum
4	Construction of wore crates	1141.88	Cum
5	Construction of parapet	40.23	Cum
6	Granular sub base/ parapet	15853.02	Cum
	Total used material	22525.22	Cum
	Material to be disposed in dumping yard	35063.00- 22525.22=12537.78	Cum
		Say 12538.00	

Location and quantity of debris Disposal

Location of dumping yard	Size of dumping yard	Capacity of dumping yard in Cum	Type of land	Name of land owner name & village	Land area used for dumping yard (sqm)	Latitude	Longitude
0/13	60x4.83x4.15	1202.67	Nap	As per attached	290.00	30°16'19.950"	79°25'26.270"
1/31	50x5x6	1500.00	Nap		250.00	30°16'22.530"	79°25'49.840"
2/23	150x4.86x7	5103.00	Nap		729.00	30°16'27.410"	79°25'40.050"
0/2 (L.R)	160x4.93x6	4732.80	Nap		788.80	30°16'22.000"	79°25'29.990"
	Total	12538.00			2057.80		

J.E
Ravindran

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बन्दीनाथ वन प्रभाग-गोपेश्वर

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Works
Nandprayag (Chamoli)

उप वन संरक्षक
बन्दीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

64


NAME OF WORK:- CONSTRUCTION OF NANDPRAYG-GHAT MR KM 15 TO JAKHNI
MOTOR ROAD UNDER PMGSY.

LOCATION - X-SECTION 0/13




LOCATION - X-SECTION 1/31




JF


Assistant Engineer
PMGSY DIV
P.W.D. Karanprayag (Chamoli)


Ex. E.P.M.G.S.Y Division
P.W.D. Karanprayag

NAME OF WORK:- CONSTRUCTION OF NANDPRAYG-GHAT MR KM 15 TO JAKHNI
MOTOR ROAD UNDER PMGSY.


(65) 10/11


LOCATION - X-SECTION 2/23



LOCATION - X-SECTION 0/02 LINK ROAD




J.E.



Assistant Engineer
PMGSY DIV
P.W.D. Karanprayag (Chamba)


Ex.E. PMGSY Division
P.W.D. Karanprayag

"अनापत्ति प्रमाण पत्र"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग ~~नन्दप्रसाद छाट के किमी 0.15~~
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डमिंग हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन
हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर
अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

हस्ता 
नाम- ~~लक्ष्मीप्रसाद गणेशप्रसाद शंकरचन्द्रबलभ~~
ग्राम- ~~आखनी~~
तहसील ~~छाट~~
जिला- ~~चमोली~~

भूमि धर के नाम भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

~~आखनी~~ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु किमी 0 2 पर प्रस्तावित भूमि श्री ~~लक्ष्मी~~
~~प्रसाद, गणेश प्रसाद~~ पुत्र श्री ~~शंकरचन्द्रबलभ~~ ग्राम ~~आखनी~~ पटवारी वृत्त ~~सीख~~
.....तहसील ~~छाट~~जिला चमोली के नाम है, जिसका सत्यापन अभिलेखों से कर
लिया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०स०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि हैक्टेयर
1	1521	0.019
2	1522	0.010
		0.029


राजस्व उपनिरीक्षक ~~आखनी~~

"अनापत्ति प्रमाण पत्र"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग ~~नदप्रयाग छाट के~~ किमी 0.15 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डम्पिंग हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।


भवदीय

हस्ता P. Prasad दानरयाम प्रसाद
नाम- दानरयाम प्रसाद, मनोज S/O दानरयाम प्रसाद
ग्राम- आखरी
तहसील छाट
जिला- चमोली

भूमि धर के नाम भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

आखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु किमी 0 3 पर प्रस्तावित भूमि श्री दानरयाम प्रसाद पुत्र श्री दानरयाम प्रसाद ग्राम आखरी पटवारी वृत्त साख तहसील छाट जिला चमोली के नाम है, जिसका सत्यापन अभिलेखों से कर लिया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०स०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि हैक्टेयर
1	1559	0.025
		0.025


राजस्व उपनिरीक्षक 20/20

"अनापत्ति प्रमाण पत्र"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग ~~नक़्शे के अन्तर्गत~~ के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डम्पिंग हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

श्री राजपाल सिंह
मकर सिंह

हस्ता०

नाम- श्री राजपाल सिंह, मकर सिंह, विक्रम सिंह
ग्राम- जाखली ५० कंचन सिंह
तहसील झार
जिला- चमोली

भूमि धर के नाम भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

जाखली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु किमी० 1 पर प्रस्तावित भूमि श्री राजपाल,
मकर सिंह, विक्रम सिंह पुत्र श्री कंचन सिंह ग्राम जाखली पटवारी वृत्त सोख
तहसील झार जिला चमोली के नाम है, जिसका सत्यापन अभिलेखों से कर लिया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०स०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि हैक्टेयर
1	1728	0.030
2	1729	0.023
3	1730	0.020
		/
		0.073

[Signature]
राजस्व उपनिरीक्षक भोधा

(69) 88

"अनापत्ति प्रमाण पत्र"

से जाखनी प्रधानमंत्री मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डम्पिंग हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग ~~नन्दप्रसाग बाट~~ के किमी 0.1 हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

हस्ता 0 हरीश लाल
नाम- कामीदास 5/0 रामीदास
ग्राम- जाखनी
तहसील घाट
जिला- चमोली


भूमि धर के नाम भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

जाखनी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु किमी 0 1 पर प्रस्तावित भूमि श्री कामी
दास पुत्र श्री रामी दास ग्राम जाखनी पटवारी वृत्त सीव
तहसील घाट जिला चमोली के नाम है, जिसका सत्यापन अभिलेखों से कर लिया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।


क्र०स०	खाता/खसरा नम्बर	भूमि हैक्टेयर
1	1474	0.034
2	1475	0.015
3	1476	0.030
		/
		0.079


राजस्व उपनिरीक्षक राजेश

जियो रेफरेंस मैप :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाखणी मोटर मोर्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल आरक्षित वन क्षेत्र ब्लॉक नवाली-5 कक्ष सं0-2, पूर्वी पिण्डर रेंज बदीनाथ वन प्रभाग (क्षे0 4.795 है0)



Scale- 1:3,000



ID	LATITUDE	LONGITUDE
1	30° 1' 53.378" N	79° 43' 36.436" E
2	30° 1' 52.441" N	79° 43' 36.871" E
3	30° 1' 50.918" N	79° 43' 36.181" E
4	30° 1' 48.129" N	79° 43' 36.132" E
5	30° 1' 46.212" N	79° 43' 34.662" E
6	30° 1' 45.655" N	79° 43' 36.730" E
7	30° 1' 46.826" N	79° 43' 42.961" E
8	30° 1' 52.810" N	79° 43' 44.319" E
9	30° 1' 54.461" N	79° 43' 38.739" E
10	30° 1' 54.597" N	79° 43' 37.349" E

Legend

- GPS Points
- Proposed CA Land

Handwritten signatures and stamps, including 'अमान' and 'A.370/09'.

प्रभागीय वन अधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेसरा

Division
P.W.D. Karanprayag

प्रारूप

परियोजना का आनलाइन प्रस्ताव सं०-FP/UK/Road/38448/2019

परियोजना का नाम: नंदप्रयाग घाट कि०मी० 15 से जाखणी तक मोटर मार्ग निर्माण

परियोजना का क्षेत्रफल (हे० में)- 2.3975 हे०

वन प्रभाग का नाम- बद्दीनाथ वन प्रभाग

प्रमाणित किया जाता है कि इस वन प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र पूर्वी पिंडर, रेंज देवाल के अंतर्गत आरक्षित अवनत वन भूमि नवाली पंचम क० नं० 2 में 4.795 हे० वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। परंतु आपके द्वारा डी०एस०एस० अनालिसिस में 1 हे० स्थल एम० डी० एफ० पाया गया। उक्त 4.795 हे० क्षेत्र का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19-8-2028 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त क्षेत्र में कुछ स्थान पर झाड़ीनुमा (लैण्टाना, कालावांसा, आदि प्रजाति की झाड़ियां) हैं। जो कि छितरे हुए हैं जिस कारण घनत्व अधिक परिलक्षित हो रहा है। परन्तु वास्तव में उक्त क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है। क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है।

अतः उक्त 4.795 हे० क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
पूर्वी पिंडर रेंज
क्षेत्र देवाल
बद्दीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्दीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर
(चमोली)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयोगिता प्रमाण पत्र


परियोजना का ऑनलाइन प्रस्ताव सं०- FP/UK/Road/38448/2019


परियोजना का नाम:- नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का क्षेत्रफल है० में:- 2.3975 है०

वन प्रभाग का नाम:- बंदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु चिन्हित नवाली पंचम क०न० 02 में 4.795 है० अवनत आरक्षित वन भूमि स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्त है।


वन क्षेत्र अधिकारी
गर्गी पिण्डर वन क्षेत्र देवाल
बंदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


प्रभागीय वन अधिकारी
बंदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)